न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : ....71/2015.....

वादी :- बनाम प्रतिवादीगण :-

1. नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां
जाति-मुसलमान कुरैशी
निवासी-आगेवा, तह.-जैतारण
जिला - पाली (राज.)

1. कालूखां पुत्र गफूरखां
जाति-मुसलमान,निवासी-आगेवा
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
2. तहसीलदार, जैतारण (भूमिधारी)
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 तारीख रजूः 18/05/2015

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपस्थित।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 18/05/2015**

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2015 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार
मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत आगेवा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प
कोर्ट" में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं
92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत
किया कि सरहद मौजा - आगेवा तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की
खातेदारी कृषि भूमि खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 311/2 रकबा 5-05 बीघा
किस्म बारानी दोयम की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में सहखातेदार कालूखां पुत्र
गफूरखां जाति-मुसलमान कुरैशी निवासी-आगेवा से दिनांक 21/06/2010 को क्रय
की थी, जिसमें क्रेता का नाम भूलवश नशीरखां पुत्र गफूरखां दर्ज हो गया था।
जबकि वादी का वास्तविक नाम नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां सही हैं। वाद पत्र के
ताईद में दस्तावेजात यथा पंजीयन दस्तावेज संख्या 2010001544 दिनांक
21/06/2010, राशन कार्ड संख्या 81/11.05.2010 चुनाव फोटो परिचय पत्र
संख्या जेवीएल/1140235 दिनांक 27/01/2001 एवं आधार कार्ड संख्या
214683907400 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में तथ्यों
संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व
रेकर्ड में गलत दर्ज नाम नशीरखां पुत्र गफूरखां के स्थान पर नजीर मोहम्मद पुत्र
गफूरखां दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया
गया। वादी एवं प्रतिवादी ने राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा नशीरखां पुत्र गफूरखां दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां दुरुस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा-ए-आम लोक अदालत शिविर-आगेवा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा, पंजीयन दस्तावेज एवं राजस्व रेकर्ड से वादी का वास्तविक नाम नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां होना साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं पंजीयन दस्तावेज स्वीकार किया जाना तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर नशीरखां पुत्र गफूरखां दर्ज गलत नाम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां दुरुस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा एवं पंजीयन दस्तावेज दिनांक 21/06/2010 वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा - आगेवा तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 61 खसरा नम्बर 311/2 रकबा 5-05 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादी नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। वादी के गलत दर्ज नाम नशीरखां पुत्र गफूरखां के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम नजीर मोहम्मद पुत्र गफूरखां दुरुस्त किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। जरिए स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण को वादी के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी से रोका जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 18/05/2015 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र आगेवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner